न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2018/00251

अपील संख्या – 91/18

1. रामप्रसाद पुत्र गोपी
2. हरि पुत्र गोपी
3. सीताराम पुत्र गोपी समस्त जातियान मीना निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 46/18 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.6.18 न्यायालय उप जिला कलक्टर, टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री हंसराम गुर्जर
अभिभाषक रैस्पो0 पैरोकार सरकार

दिनांक 30.08.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.6.18 न्यायालय उप जिला कलक्टर, टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांटस द्वारा वाद पत्र इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि गत खसरा न0 213 रकबा 4 बीघा 12 विस्वा ग्राम एदलपुर तहसील टोडाभीम मे स्थित है। भू प्रबंध से पूर्व जमाबंदी सम्वत 2039 से 2042 तक मे खातेदारी गोपी पुत्र भूरया हिस्सा 1/2 विश्राम पुत्र चिम्पू हिस्सा 1/4, रामप्रसाद पुत्र चिम्पू हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज थी। गोपी की मृत्यु के बाद वादीगण कायम मुकाम कानूनी वारिस व उत्तराधिकारी है तथा रामप्रसाद की मृत्यु के बाद वादीगण कानूनी वारिस व उत्तराधिकारी है। रामप्रसाद की मत्यु के बाद उसके पुत्र राजेश व पत्नि रामगिलासी वारिस है तथा हाल ख0न0 मे खातेदारी वादीगण रामप्रसाद,हरि,सीताराम पुत्र गोपी हिस्सा 1/2 विश्राम पुत्र चिम्पू हिस्सा 1/4 रामगिलासी पत्नि स्व0रामप्रसाद ,राजेश पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/4 दर्ज है। गत ख0न0 213 रकबा 4 बीघा 12 विस्वा के अनुसार सहखातेदार भू प्रबंध से पूर्व दौराने भू प्रबंध व आज तक लगातार काबिज चले आ रहे है तथा काश्त कर रहे है। लेकिन दौराने सेटलमेंट विभाग ने कुछ ख0न0 किये है तथा हाल ख0न0 200 रकबा 0.07 है0, 201 रकबा 0.04 है0, 202 रकबा 0.07 एवं 196 रकबा 0.06 है0 195 रकबा 0.05 है0, 193 रकबा 0.06 है0 की खातेदारी सेटलमेंट कर्मचारी व अधिकारियो ने गलत रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.09.16 15:24:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

चारागाह दर्ज कर दी है जबकि यह भूमि वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है तथा ख0न0 213 की ही भूमि है। तथा भू प्रबंध विभाग ने गत ट्रेस के अनुसार हाल हाल ट्रेस मे खातेदारी नही दी है जो एक क्लेरिकल मिस्टेक है। भू प्रबंध विभाग को दौराने सेटलमेंट यह अधिकार नही था कि किसी व्यक्ति की खातेदारी को खत्म कर दिया जावे इस प्रकार वादीगण हाल ख0न0 200,201,202 के खातेदार काश्तकार है तथा अपने हक मे खातेदारी कराने के हकदार है। वादीगण अशिक्षित ग्रामीण व कानून के अनभिज्ञ व्यक्ति है। वादीगण को भू प्रबंध विभाग की गलत कार्यवाही बावत इन्द्राज की जानकारी नही हो पाई। इस प्रकार वादीगण का वाद पत्र इस प्रकार डिक्री किया जावे कि गत खसरा न0 213 रकबा 4 बीघा 12 विस्वा ग्राम एदलपुर तहसील टोडाभीम गत खातेदारी के अनुसार वादी के नाम हाल ख0न0 200 रकबा 0.07 है0, 201 रकबा 0.04 है0, 202 रकबा 0.07 ऐयर, 196 रकबा 0.06 है0, 195 रकबा 0.05 है0, 193 रकबा 0.06 है0 ग्राम एदलपुर तहसील टोडाभीम की खातेदारी वादीगण के नाम हिस्सा 1/2 व विश्राम पुत्र चिम्पू हिस्सा 1/4, रामगिलासी पत्नि स्व0रामप्रसाद ,राजेश पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/4 जाति मीना निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम के नाम दर्ज की जावे तथा खातेदार घोषित किया जावे तथा तहसीलदार को उक्तानुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अमल करने के आदेश दिये जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांटस द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभापको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विरूद्व रिकार्ड व खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। गत खसरा न0 213 रकबा 4 बीघा 12 विस्वा ग्राम एदलपुर तहसील टोडाभीम मे स्थित है। भू प्रबंध से पूर्व जमाबंदी सम्वत 2039 से 2042 तक मे खातेदारी गोपी पुत्र भूरया हिस्सा 1/2 विश्राम पुत्र चिम्पू हिस्सा 1/4, रामप्रसाद पुत्र चिम्पू हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज थी। गोपी की मृत्यु के बाद वादीगण कायम मुकाम कानूनी वारिस व उत्तराधिकारी है तथा रामप्रसाद की मृत्यु के बाद वादीगण कानूनी वारिस व उत्तराधिकारी है। रामप्रसाद की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राजेश व पत्नि रामगिलासी वारिस है तथा हाल ख0न0 मे खातेदारी वादीगण रामप्रसाद,हरि,सीताराम पुत्र गोपी हिस्सा 1/2 विश्राम पुत्र चिम्पू हिस्सा 1/4 रामगिलासी पत्नि स्व0रामप्रसाद ,राजेश पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/4 दर्ज है। गत ख0न0 213 रकबा 4 बीघा 12 विस्वा के अनुसार वादीगण व सहखातेदार भू प्रबंध से पूर्व दौराने भू प्रबंध व आज तक काबिज चले आ रहे है तथा काश्त कर रहे है। लेकिन दौराने सेटलमेंट विभाग ने गत ख0न0 सही खातेदारी मे दर्ज किये है तथा हाल ख0न0 200 रकबा 0.07 है0, 201 रकबा 0.04 है0, 202 रकबा 0.07 ऐयर, 196 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:00 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

0.06 है0, 195 रकबा 0.05 है0, 193 रकबा 0.06 है0 की खातेदारी सेटलमेंट कर्मचारी व अधिकारियो ने गलत रूप से चारागाह दर्ज कर दी है जबकि यह भूमि वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है तथा ख0न0 213 की ही भूमि है। तथा भू प्रबंध विभाग ने गत ट्रेस के अनुसार हाल हाल ट्रेस मे खातेदारी नही दी है जो एक क्लेरिकल मिस्टेक है। भू प्रबंध विभाग को दौराने सेटलमेंट यह अधिकार नही था कि किसी व्यक्ति की खातेदारी को खत्म कर दिया जावे इस प्रकार वादीगण हाल ख0न0 200,201,202 के खातेदार काश्तकार है तथा अपने हक मे खातेदारी कराने के हकदार है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 तहसीलदार टोडाभीम के द्वारा दिनांक 29.6.18 को प्रस्तुत जबाब रूटिन का जबाब है जबाब स्पष्ट नही है तथा वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो के संबंध मे स्पष्टीकरण नही दिया है तथा जबाब भी रिकार्ड व मौके विपरीत पेश किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलांट के हक मे जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है वे पूर्णरूप से वादी के वाद पत्र का सर्मथन करते है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही करके कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे जबाब को ही मुख्य बिन्दु मानकर निर्णय पारित किया है जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज वाद पत्र के सबंध मे कोई तथ्य अंकित नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0के द्वारा दिनांक 29.6.18 को जबाब प्रस्तुत किया है। वकील वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से यह निवेदन किया कि वाद पत्र मे तनकी कायम की जावे तथा सबूत मे रखी जावे तथा वादीगण अपना पक्ष दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य रूप से साबित करेगा अवसर दिया जावे लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने सीपीसी के मडेटरी प्रावधान पर गौर नही कर जल्दबाजी मे जबाबत प्रस्तुत होने के दिन ही दावा अवैध व गलत रूप से खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम एदलपुर की जमाबंदी सम्वत 2039 से 2042 के खसरा न0 213 रकबा 4 बीघा 12 विस्वा खाता संख्या 17 मे गोपी पुत्र भूरया हिस्सा 1/2, विश्राम पुत्र चिम्पू हिस्सा 1/4 व रामप्रसाद पुत्र चिम्पू जाति मीना निवासी एदलपुर के नाम दर्ज है तथा वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 98 मे रामप्रसाद पुत्र गोपी हिस्सा 1/6, विश्राम पुत्र चिम्पू हिस्सा 1/4, हरि,सीताराम पुत्र गोपी हिस्सा 1/3 ,रामगिलासी पत्नि स्व0रामप्रसाद , राजेश पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/4 दर्ज है। वादीगण/अपीलांट द्वारा एदलपुर के ख0न0 200 रकबा 0.07 है0, 201 रकबा 0.04 है0 , 202 रकबा 0.07 है0, 196 रकबा 0.09 है0 , 195 रकबा 0.05 है0 , 193 रकबा 0.06 है0 जो चारागाह दर्ज रिकार्ड है जिसकी खातेदारी चाही गई है। उक्त सभी खसरा न0 भू प्रबंध विभाग से पूर्व के ख0न0 82/1 मिन से बनाये गये है जो पूर्व मे भी चारागाह दर्ज है। उक्त नम्बरान मे से कोई भी खसरा न0 गत ख0न0 413 से नही बनाया गया है अपील वादीगण जिन खसरा नम्बरान की खातेदारी चाहते है वो सभी नम्बर पूर्व मे भी चारागाह, व वर्तमान मे भी चारागाह दर्ज है तथा वादीगण की खातेदारी मे नही रहे है। साबिक रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस से नवीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जमाबंदी व नक्शा ट्रेस बनाते हुए भू प्रबंध विभाग ने कोई गलती नही की है। नवीन रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस सही बनाये गये है। उक्त भूमि चारागाह है। भू प्रबंध विभाग ने चारागाह सही दर्ज की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साबिक एवं हाल नक्शा ट्रेस का मिलान करते हुए सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि आधार वर्ष की जमाबंदी सम्वत 2039 से 2041 मे चारागाह का रकबा 49 बीघा 16 विस्वा दर्ज है। जिसमे से 3 बीघा 3 विस्वा भूमि जमीन स्कूल के प्रयोजनार्थ चली गई एवं 2 बीघा भूमि गैर मुमकिन आबादी मे दर्ज हो गई। इस प्रकार शेष 44 बीघा 3 विस्वा भूमि शेष रही है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे चारागाह का रकबा 11.50 दर्ज है जो कि साबिक के मुकाबले 0.34 है0 ज्यादा है। इससे स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से वादी/अपीलांट की भूमि का रकबा कम किया जाकर चागाराह मे शामिल किया गया है। जिसे दुरूस्त कराने का वादी कानूनन हकदार है। जिसे नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलांट की अपील वाद पत्र अनुसार डिक्री किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 46/18 मे पारित निर्णय व डिक्री 29.6.18 को अपास्त किया जाता है। वादी का वाद पत्र अमर से डिक्री किया जाता है कि गत खसरा न0 213 रकबा 4 बीघा 12 विस्वा ग्राम एदलपुर तहसील टोडाभीम की गत खातेदारी के अनुसार वादी के नाम हाल ख0न0 200 रकबा 0.07 है0, 201 रकबा 0.04 है0, 202 रकबा 0.07 ऐयर, 196 रकबा 0.06 है0, 195 रकबा 0.05 है0, 193 रकबा 0.06 है0 ग्राम एदलपुर तहसील टोडाभीम की खातेदारी वादीगण के नाम हिस्सा 1/2 व विश्राम पुत्र चिम्पू हिस्सा 1/4, रामगिलासी पत्नि स्व0रामप्रसाद ,राजेश पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/4 जाति मीना निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम के नाम दर्ज की जावे । तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:00 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर